

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ड)()का.भा./डीएलबी/21/557

दिनांक: 3-3-2023

आदेश

श्री नरेन्द्र सिंह बाबेल, उपाध्यक्ष नगरपालिका कानोड (उदयपुर) को पत्र क्रमांक प.2(च)() एसीबी/fir no. 476/ जॉच/डीएलबी/23/712 दिनांक 22.02.2023 द्वारा नगरपालिका कानोड (उदयपुर) के उपाध्यक्ष पद से निलम्बित किये जाने से रिक्त हुये पद पर श्री बाबुलाल रैगर पार्षद वार्ड नम्बर 15 को नगर पालिका कानोड के उपाध्यक्ष पद का कार्यभार दिया जाता है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री बाबुलाल रैगर पार्षद वार्ड नम्बर 15 को नगर पालिका कानोड (उदयपुर) के उपाध्यक्ष पद पर आगामी 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिए कार्यभार दिया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(ड)()का.भा./डीएलबी/22/558-570 दिनांक 3-3-2023
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय राज. जयपुर।
6. जिला कलक्टर, उदयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
8. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका कानोड।
9. जनसंपर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रकाशन हेतु।
10. प्रभारी मोनिटरिंग सेल को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
12. श्री बाबुलाल रैगर पार्षद वार्ड नम्बर 15 को नगर पालिका कानोड (उदयपुर)
13. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी